

अनुसूची 14 – फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

<p>06 15.09.2023</p>	<p style="text-align: center;">न्यायालय उपायुक्त, राँची <u>अधिग्रहण वाद सं० 28 आर० 28/2022-23</u></p> <p>राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>हरिहर सिंह पिता स्व० कपिलदेव सिंह निवासी न्यु बांधगाड़ी, दीपाटोली रोड सं० 6, थाना सदर, जिला राँची विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची के द्वारा ज्ञापांक 5858/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 20.10.2022 तथा ज्ञापांक 7097/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से नामकुम थाना कांड सं०-319/22 दिनांक 11.09.2022 धारा-414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 में जप्त हाईवा वाहन सं० -JH-01DT-8867 एवं OR-16C-5574 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।</p> <p>प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त नामकुम थाना कांड सं०-319/22 दिनांक 11.09.2022 धारा-414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 वादी श्री विश्वनाथ उरॉव, जिला खनन कार्यालय, राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० JH-01DT-8867 एवं OR-16C-5574 के मालिक तथा चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालु का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप के आधार पर दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा-414 भा०द०वि० एवं 4/21 Mines & Mineral (D&R) Rule 1957 & 4/54 Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2004 & 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation & Storage) Rule 2017 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है।</p> <p>विपक्षी को जारी नोटिस का तामीला प्राप्त है। विपक्षी के द्वारा</p>	
--------------------------	---	--

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2

समय की माँग की गई, जिसे अस्वीकृत किया गया तथा यह वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया। इसी दौरान विपक्षी के द्वारा दिनांक 13.09.2023 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया, जो अभिलेखबद्ध है।

विपक्षी के अनुसार - विपक्षी हरिहर सिंह वाहन सं०-OR-16C-5574 का निबंधित मालिक है तथा वाहन स्थनीय पुलिस द्वारा जप्त किया गया था जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा मुक्त किया जा चुका है विपक्षी हरिहर सिंह उपरोक्त काण्ड में माननीय न्यायायुक्त महोदय, व्यवहार न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में अग्रिम जमानत प्राप्त है। एम० एम० डी० आर० एक्ट 1957 की धारा 21 (4ए०) में वर्णित प्रावधान के अनुसार वाहन जप्ती का अधिकार सक्षम न्यायालय पर निहित है जो कि उपरोक्त अभियोग का संज्ञान लेने में सक्षम है। उक्त अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / न्यायिक दण्डाधिकारी को उपरोक्त अधिनियम के अपराध का संज्ञान लेने के सक्षम पदाधिकारी है। एम० एम० डी० आर० एक्ट 1957 की धारा 21 (4ए०) तथा एम० एम० डी० आर० एक्ट 1957 (संशोधित वर्ष 2015) के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 27.01.2018 को अधिसूचित नियम 11 (V) आपस में विरोधाभाषी है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची ने नवीन कुमार चौधरी बनाम झारखण्ड राज्य दिनांक 03.03.2021 को पारित अपने आदेश में यह स्पष्ट आदेशित किया है कि वाहन से सम्बंधित राजसात की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी / न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा धारा 21 (IV-A) तथा 22 के आलोक में होना ही न्योचित होगा।

एम० एम० डी० आर० एक्ट 1957 की धारा 23-सी० में निहित शक्ति के आलोक में उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 27.01.2018 को निर्गत करते हुए नियम 11(V) के अन्तर्गत इस न्यायालय को भी वाहन राजसात की शक्ति प्रदान कर दी है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची ने अपने उपरोक्त आदेश की कंडिका 7 में स्पष्ट अवधारित किया है कि यह पूर्णतः स्थापित कानून है कि विशेष अधिनियम का अधिकार क्षेत्र ज्यादा है और राज्य सरकार द्वारा पारित कोई भी आदेश से विशेष अधिनियम वंचित नहीं किया जा सकता तथा भी कार्यपालक आदेश या अधिसूचना विशेष अधिनियम की शक्ति को कम नहीं कर सकता है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधान तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपरोक्त पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय में वाहन राजसात की कार्रवाई लंबित रहना न्यायोचित नहीं है चूंकि उपरोक्त अधिसूचना

2

अनुसूची 14 - फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दिनांक 27.01.2018 झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है।


प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। माननीय उच्च न्यायालय ने Cr. Revision No.-862 of 2020 में पारित आदेश के कंडिका 9 में आयोजित किया है कि - However the court is not denuded of the power of take cognizance of the offence under the Penal Code and the offences enumerated under the Rules notified by the State Government. Under the Notified Rules of the State Government, the competent court to order for confiscation of the seized vehicle is the court of Deputy Commissioner and not the court of Chief Judicial Magistrate.

उपरोक्त न्यायनिर्णय कि आलोक में प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारणीय है। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के द्वारा उपरोक्त वाहन में परिवहन किये जा रहे बालु के वैधानिकता के संदर्भ में ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य न ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। एन०जी०टी० द्वारा जारी आदेश के आलोक में प्रत्येक वर्ष दिनांक 10 जून से 15 अक्टुबर तक बालु का उठाव एवं खनन पूर्णतः बंद रहता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन में लघु खनिज/बालु का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है।

अतः नामकुम थाना कांड सं०-319/22 दिनांक 11.09.2022 हाईवा वाहन सं० JH-01DT-8867 एवं OR-16C-5574 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त
राँची


उपायुक्त
राँची